राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 188

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 16 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लारा बोले, विराट कोहली के डीएनए में है आक्रामकता

>>12

नागरिकता कानून पर जामिया और एएमयू में उपद्रव

अराजकता ▶ विरोध के नाम पर हिंसा की आग बंगाल के बाद दिल्ली और अलीगढ़ में फैली, राजधानी में बसें फूंकीं, पुलिस व राहगीरों पर हमला

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर असम और बंगाल से शुरू हुई हिंसा की लपटों ने रविवार को राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को भी चपेट में ले लिया। दिल्ली के जामिया मिल्लिया विवि और अलीगढ़ के एएमयू में उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा बवाल किया। दिल्ली में कई बसें और पुलिस चौकियां फूंक दी गईं। यहां छात्रों, पुलिसकर्मियों और दमकलकर्मियों समेत करीब 40 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में डीआइजी समेत 50 लोग घायल हो गए।

दिल्ली में सीएए के विरुद्ध जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तीन दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। रविवार को छात्रों के प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के शामिल हो जाने के बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। उत्पातियों ने पूरे दिन दिल्ली-नोएडा रोड और मथुरा रोड को ठप रखा। शाम करीब पांच बजे मथुरा रोड पर सूर्या होटल के सामने चार बसों और बटला हाउस मेन चौक पर बनी पुलिस चौकी को फूंक दिया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में टकराव के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के दो वाहनों में आग लगा दी। हिंसा में छह पुलिसकर्मी और दो दमकलकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गईं। हिंसा में कई राहगीर घायल हो गए। पुलिस ने लाठी भांजकर हिंसा पर उतारू भीड़ को खदेड़ा। सूत्रों के अनुसार, 31 छात्र भी नजदीकी अस्पतालों में लाए गए, जिनमें से 11 को भर्ती किया गया है। हिंसा के बाद जामिया के चीफ प्रोक्टर वसीम अहमद खान ने पुलिस पर जबरन कैंपस में घुसने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात काबू करने के लिए कैंपस में जाना पड़ा। फिलहाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद कर दी गई हैं और पांच जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है।

कानून पर बवाल (विशेष) पेज>>5

- एएमयू में छात्रों ने हवाई फायरिंग की, देसी बम फोड़े
- हालात पर काबू पाने दोनों विवि में घुसी पुलिस

नागरिकता कानून को लेकर नई दिल्ली में रविवार को प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। नई फ्रेंडस कॉलोनी के समीप उपद्रवियों ने बस और कार को आग के हवाले कर दिया। संजय

मेट्रो के कई स्टेशन बंद

हिंसा और आगजीन के कारण दिल्ली में जीटीबी नगर, शिवाजी स्टेडियम, पटेल चौक, विश्वविद्यालय, वसंत विहार, मुनिरका, आरके पुरम, सुखदेव विहार, आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ओखला विहार और जसोला विहार मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

एएमयू में रैली से बिगड़े हालात

जामिया विवि में हुई पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश जताने के लिए देर शाम निकाली गई एएमयू छात्रों की रैली हिंसक टकराव में बदल गई। एएमयू सर्किल पर रोके जाने पर छात्रों ने पथराव के साथ हवाई फायरिंग की और देसी बम फोड़े। इस दौरान प्रॉक्टोरियल टीम, डीआइजी डॉ. प्रीतेंदर सिंह, एसपी सिटी के अलावा बीस जवान घायल हो गए। पुलिस आंसू के गोले छोड़ते हुए कैंपस में अंदर घुस गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब एएमयू के अंदर वज्र वाहन गए। एएमयू के अंदर से आठ युवकों को हिरासत में लिया गया है। जिले में इंटरनेट सेवा सोमवार रात दस बजे तक के लिए बंद कर दी गई।

नहीं बुझ रही बंगाल की आग, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी

बंगाल में तीसरे दिन भी उत्पातियों ने मुर्शिदाबाद के पास रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। रेल पटरी पर टायर जलाकर ट्रेनों को रोका और पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस के वाहन को भी फूंक दिया। एहतियातन कई ट्रेनों को रद कर दिया गया। छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

बिहार, आंध्र व तमिलनाडु में भी प्रदर्शन

बवाल की आग से बिहार भी अछूता नहीं रहा। पटना के अशोक राजपथ से लेकर कारगिल चौक तक जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने एक दर्जन वाहनों को फूंक दिया। पथराव में डीएसपी समेत एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। कारगिल चौक के पास दो पुलिस पोस्ट फूंक दी गईं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को 15 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ।

असम में सुधर रहे हालात

असम में भड़की हिंसा का दौर थमता दिख रहा है। रविवार को गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। कर्फ्यू में ढील के बाद राशन की दुकानों व पेट्रोल पंपों पर लोगों की कतारें दिखीं। यहां पिछले दिनों हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या चार हो चुकी है। मेघालय में भी हालात सामान्य हो रहे हैं।

कांग्रेस भड़का रही अशांति : मोदी

'कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं विरोध के नाम पर आग लगाने वाले'

राज्य ब्यूरो, रांची

- कहा-नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष का विरोध बताता है कि हमारा फैसला हजार फीसद सही है
- जो काम पाक नागरिक और पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले करते थे, वह अब कांग्रेस कर रही है
- शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को साधुवाद दिया, कहा-यही है लोकतंत्र

नागरिकता संशोधन कानून पर देश में कुछ राज्यों में भड़की हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सीधे-सीधे आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि जो हिंसा और आगजनी में लिप्त हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। झारखंड के दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, विपक्षी दलों की करतूत बताती है कि नागरिकता संशोधन कानून एक हजार फीसद सही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सीएए को लेकर नार्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विरोध करते-करते कांग्रेस अब देश का ही विरोध करने लगी है। लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अब तक यह काम पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले लोग किया करते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी यही करने लगी है। अगर कोई गिला शिकवा है तो बंद कमरे में बात होती, चाय पीते और अपनी बात रखते। अब कांग्रेस वालों से कोई उम्मीद नहीं बची। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए सार्वजनिक जीवन में आए हैं। देश और समाज के हित में काम करने वालों को यह कभी स्वीकार नहीं करते हैं।'

असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए साधुवाद देते हुए मोदी ने कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन जो लोग असम व बंगाल में आग लगा रहे हैं, उनकी पहचान कपड़ों से ही हो जा रही है। हमारा विरोध करते-करते विपक्षी दल तमाम सीमा रेखा लांघ जाते हैं और देश का विरोध करने लगते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के दुमका जिले के हवाई अड्डे पर चुनावी सभा को संबोधित किया और पहली बार सीएए का जिक्र किया। जागरण

देश को बदनाम करने का काम हो रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि लंदन में प्रदर्शन से हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट अब ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिससे देश का मान सम्मान बढ़े। यही तो लोकतंत्र है। लंदन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तान वालों ने उस समय प्रदर्शन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर फैसला दिया। इसी प्रकार, अनुच्छेद 370 पर हमारे निर्णय के बाद भी प्रदर्शन किया गया।

भाजपा देती है आपके अधिकार को सुरक्षित रखने की गारंटी

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से झारखंड में डबल इंजन की सरकार को फिर से स्थापित करने की बात करते हुए कहा कि आपके जल, आपके जंगल और आपके अधिकार को सुरक्षित रखने की गारंटी भाजपा देती है। झामुमो, कांग्रेस और वामपंथियों के लिए आदिवासी क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता में कभी भी नहीं रहा है। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा, कि सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं से आदिवासी वंचित रहे हैं। यह भाजपा को मंजूर नहीं है।

सरोकार

हरपुरा के हर आंगन में खिलखिलातीं हैं बेटियां

टीकमगढ़ (मप्र) : भ्रूण लिंग परीक्षण और अजन्मी कन्याओं को मार डालने की चिंताओं की बीच मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ का हरपुरा मड़िया गांव मिसाल पेश कर रहा है। यहां बेटियों के जन्म पर मंगल गीत गाए जाते हैं। 2300 की आबादी वाले गांव में एक हजार पुरुषों पर 1096 महिलाएं हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

कॉफी बढ़ाएगी हिमाचल प्रदेश में किसानों का जायका

ऊना : हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी इलाके में जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं के कारण खेती से मुंह मोड़ चुके किसानों के लिए कॉफी की खेती नई उम्मीद लेकर आई है। इससे बंजर खेत लहलहाने लगे हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने की आस जगी है। धर्मसाल महंता इलाके में किसानों ने कॉफी के दो हजार पौधे लगाए हैं। इनमें से 90 फीसद पूरी तरह से ठीक हैं। (पेज-13)

डॉक्टरों की सुरक्षा वाला विधेयक ठंडे बस्ते में

- गृह मंत्रालय ने कहा, इस संबंध में अलग कानून की जरूरत नहीं
- दूसरे पेशे से जुड़े लोग भी कर सकते हैं अलग कानून की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया विधेयक गृह मंत्रालय की आपत्तियों के बाद ठंडे बस्ते में चला गया है। मंत्रालय इस विधेयक को 13 दिसंबर को खत्म हुए शीतकालीन सत्र में रखना चाहता था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'कानून मंत्रालय ने बिल के प्रारूप पर सहमति दे दी थी, लेकिन अंतर मंत्रालय परामर्श के दौरान कहा गया कि किसी पेशा विशेष के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।' 'गृह मंत्रालय ने किसी खास पेशे से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए अलग कानून बनाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम है। ऐसा हुआ तो वकालत व पुलिस आदि पेशे से जुड़े लोग भी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की मांग करने लगेंगे।'

3-10 साल सजा, 2-10 लाख तक के जुर्माने का था प्रावधान : ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हेल्थ सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट (प्रोहिबिशन ऑफ व्यॉलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) नामक बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके तहत डॉक्टरों या स्वास्थ्यकर्मियों को घातक नुकसान पहुंचाने पर 3-10 साल तक की सजा और 2-10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर छह माह से पांच साल तक की सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। सूत्रों ने कहा कि विधेयक के प्रारूप में क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए बाजार मूल्य से दोगुना तथा मारपीट व चोट पहुंचाने की स्थिति में 1-5 लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान था। मुआवजा न देने पर दोषी से मुआवजे की राशि भूराजस्व संग्रह कानून-1890 के तहत राजस्व बकाया के रूप में वसूली जाती। इस विधेयक के दायरे में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल छात्र, जांच सेवाएं और एंबुलेंस के चालकों को रखा गया है।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए बनी थी आठ सदस्यीय उप समिति पेज>>3

अविवाहित और विधवा कर्मियों की जोड़ियां भी बनवाएगा आइटीबीपी

- वैवाहिक पोर्टल की शुरुआत करने वाला पहला अर्धसैनिक बल बना आइटीबीपी
- एलएसी पर चीन के साथ लगती सीमा की सतर्क निगरानी के लिए जाना जाता है यह बल

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) अब अपने अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा कर्मचारियों की जोड़ियां भी बनवाएगा। इस क्रम में उसने खास वैवाहिक वेबसाइट लांच की है। इसके जरिये आइटीबीपी के सदस्यों को अपने बल के भीतर जोड़ी तलाशने में मदद मिलेगी। यह पहला मौका है जब किसी अर्धसैन्य बल ने ऐसी पहल की है।

आइटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अर्धसैन्य बल के सदस्य दुर्गम पहाड़ी सीमा क्षेत्र में तैनात होते हैं। कठिन ड्यूटी के दौरान जीवन साथी की मौजूदगी से थोड़ा सुकून मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को वैवाहिक पोर्टल विकसित करने को कहा था। यह पोर्टल अर्धसैन्य बल में काम करने वाले दंपती की अलग-अलग तैनाती की समस्या को कम करने में भी मदद करेगा। आइटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नौ दिसंबर को इस वैवाहिक पोर्टल का लिंक भी साझा किया गया है।

आइटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडेय ने बताया, 'पोर्टल पर अब तक 150 पंजीकरण हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि और भी जरूरतमंद सदस्य इस पर पंजीकरण कराएंगे। इसका इस्तेमाल अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा कर्मचारी कर सकेंगे।' उन्होंने बताया कि पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति अथवा महिला कर्मी की व्यक्तिगत सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें उसकी रैंक, आइटीबीपी में सेवा शुरू करने की तारीख, वर्तमान तैनाती, गृहनगर की लोकेशन व तस्वीर शामिल होगी। जब कोई पुरुष या महिला रुचि दिखाएगा तो उसके पास ई-मेल और एसएमएस पहुंच जाएंगे।

आइटीबीपी के 25 हजार जवान व एक हजार युवतियां अविवाहित : वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के बाद 90 हजार क्षमता वाले आइटीबीपी की स्थापना की गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में दक्ष यह अर्धसैन्य बल चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करता है। आइटीबीपी में फिलहाल 25 हजार अविवाहित पुरुष व एक हजार महिलाएं विभिन्न पदों पर तैनात हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अर्धसैन्य बल की 333 जोड़ियां ऐसी हैं, जिनके दोनों सदस्य आइटीबीपी का हिस्सा हैं। बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य भी हैं जिन्हें समान बल में जीवन साथी की तलाश रहती है। सरकारी नियम भी ऐसी जोड़ियों के लिए एक ही जगह पर तैनाती को प्राथमिकता देता है।

अर्धसैन्य बलों में 2.5 लाख से ज्यादा अविवाहित

आंकड़ों के आधार पर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अर्धसैन्य बलों की कुल क्षमता करीब 10 लाख में से 2.5 लाख से ज्यादा अविवाहित हैं। अर्धसैन्य बलों में एनएसजी और एनडीआरएफ के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी और आइटीबीपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइटीबीपी की यह शुरुआत प्रशंसनीय है। हालांकि, यह एक वैकल्पिक सुविधा है।

कई जन्म लेने के बाद भी राहुल नहीं बन सकते सावरकर : संघ

नई दिल्ली : भाजपा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कई जन्म लेने के बाद भी राहुल सावरकर नहीं हो सकते। भले ही उन्होंने अनादर या अपमान करने के लिए ही कहा है, लेकिन उनका कहना सही है कि वे सावरकर नहीं हैं। (पेज-3)

सात साल पहले हुई दरिंदगी, अब तक देश को है इंसाफ का इंतजार

नई दिल्ली : दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में बेटी निर्भया छह दरिंदों का शिकार हुई थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर उतरा था। इसके बाद न सिर्फ सरकार ने कानून बदला बल्कि कोर्ट ने भी चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। एक दोषी ने जेल में खुदकशी कर ली थी, जबकि छठा आरोपित नाबालिग था। विडंबना ही है कि अब भी देश को इंसाफ का इंतजार है। (पेज-7)

इस महीने के अंत तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा है कि इस माह के अंत तक पैन को आधार से लिंक करना ही होगा। आइटी विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के निर्माण व बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें। तय समय-सीमा के भीतर यह लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। (पेज-10)

बड़ी बहस

सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, संविधान पीठ कह चुकी है, विदेशियों का मौलिक अधिकार सिर्फ जीवन और स्वतंत्रता तक सीमित

आसान नहीं होगा नागरिकता कानून को खारिज कराना

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून पर काफी हंगामा मचा है। सुप्रीम कोर्ट में भी दर्जन भर से ज्यादा याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है। बुधवार को इन पर सुनवाई की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि संशोधित कानून क्या कहता है और कोर्ट में कानून की वैधानिकता परखने का क्या मानदंड है? क्या यह कानून उन पर खरा उतारता है? कानून का विश्लेषण करने, तय मानदंड व पूर्व के फैसलों को देखने से लगता है कि कोर्ट में इसे खारिज कराना बहुत आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोर्ट यह देखेगा कि इस कानून से किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताते हुए संविधान की धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे और अनुच्छेद 14 में दिए गए बराबरी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि अनुच्छेद 14 तर्कसंगत वर्गीकरण की इजाजत देता है और इस कानून में भी तर्कसंगत वर्गीकरण है। कानून किस उद्देश्य से लाया गया है यह कानून के उद्देश्य में ही स्पष्ट है। इसमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। यह कानून हर तरह के शरणार्थी को नागरिकता देने की बात नहीं कर रहा। धार्मिक रूप से सताए शरणार्थियों और अपने बेहतर जीवन और निवास की सुविधा की आस में आए शरणार्थियों में अंतर है। तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार पर ही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था या आरक्षण की अवधारणा टिकी है।

संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का है पूर्ण अधिकार : कानून को चुनौती देने के दो आधार होते हैं। पहला संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है कि नहीं और दूसरा कि कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं करता। मौजूदा मामला देखें तो संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का पूर्ण और अबाधित अधिकार देता है।

कोर्ट देखेगा किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है : अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन पर रिट दाखिल करने का अधिकार देता है। यदि पीड़ित स्वयं कोर्ट नहीं आ सकता तो उसकी ओर से कोई और याचिका दायर कर सकता है। ज्ञानंत कहते हैं कि इस मामले में कोर्ट यह देखेगा कि किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। जिनके मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही जा रही है क्या वे भारतीय नागरिक हैं? किसी विदेशी का नागरिकता पाने का मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? अगर किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जा रही हो तो कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। ज्ञानंत कहते है कि यह संसद का विवेकाधिकार है कि वह किसे नागरिकता दे और किसे न दे। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का तर्क गलत है, क्योंकि यहां संविधान में संशोधन नहीं किया गया है।

विदेशियों को देश में बसने का मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हंस मुलर ऑफ न्यूनबर्ग बनाम प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता मामले में 1955 में दिए गए फैसले में कहा था कि विदेशियों का मौलिक अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक ही सीमित हैं। उन्हें अनुच्छेद 19 (1)(ई) के तहत देश में कहीं भी बसने और रहने का मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार को विदेशियों को बाहर निकालने का असीमित और पूर्ण अधिकार है। संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो सरकार के इस अधिकार पर रोक लगाता हो।

संविधान पीठ के इस फैसले पर 1991 में मिस्टर लुइस डे रेड्ट बनाम भारत सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुहर लगाई। 1995 में डेविड जॉन होपकिंग मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने उद्धृत किया। साथ ही कहा कि भारत सरकार के पास नागरिकता देने से मना करने की असीमित शक्ति है। सरकार बिना कारण बताए नागरिकता देने से मना कर सकती है। विदेशी नागरिक अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय नागरिकों से बराबरी के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

अगप का यूटर्न, जाएगी सुप्रीम कोर्ट पेज>>5

126 करोड़ के भूमि घोटाले में आरोपित सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले मामले में ग्रेटर नोएडा बीटा दो कोतवाली पुलिस ने प्राधिकरण के तत्कालीन एसीईओ व सेवानिवृत्त पीसीएस सतीश कुमार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सतीश कुमार मूलरूप से शामली के अछौया गांव के रहने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक जार सोसायटी में रह रहे थे।

गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 2013-14 में हुए भूमि घोटाले के संबंध में तीन जून 2018 को बीटा दो कोतवाली में प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ सेवानिवृत्त आइएएस पीसी गुप्ता समेत 21 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित पीसी गुप्ता को 22 जून 2018 को मध्य प्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मास्टर प्लान से बाहर जाकर प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदी गई थी। इसके बाद उसी जमीन का मुआवजा अपने रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह बांटा गया।

सीबीआइ के संपर्क में थे आरोपित : सीबीआइ केस को अपने हाथ में लेने से पहले प्राथमिक पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान गाजियाबाद में आरोपितों से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ इंस्पेक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस मामले में सीबीआइ के एसआइ की भी गिरफ्तारी हुई थी।

> आरोपित सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
>
> -रणविजय सिंह, एसपी देहात, ग्रेटर नोएडा